



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कारावास व 22600/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण— पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कारावास व 22600/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बबेरु पर पंजीकृत अभियोग- 06/18 धारा 354ख/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त रवि पुत्र मेड़े लाल केवट निवासी क्योटरा बदौली थाना बबेरु जनपद बांदा को **04 वर्ष के कठोर कारावास व 6600/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 202/92 धारा 147/323/324/504 भादवि के 04 अभियुक्तों 1-हनीफ उर्फ खताइया पुत्र सद्दीक खां, 2-मकबूल खां पुत्र सद्दीक खां, 3-भूरा उर्फ युसुफ खां पुत्र मैकू खां व 4-तुफैल खां पुत्र कल्लू खां निवासीगण कोरही थाना बिसण्डा जनपद बांदा को कुल **16000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।